खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

खादी ग्रामोद्योग बोर्डसे संबंधित अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए जिला कार्यालय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,गुना से संपर्क करें।

जिला प्रबंधक, जिला कार्यालय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,,

जिला– गुना, दूरभाष– (07542)253131

म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला– गुना

क्र	योजना/कार्यक्रम का नाम	पात्र हितग्राही	दिया जाने वाला लाभ	किससे संपर्क करें
1	परिवार मूलक ईकाई की स्थापना	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अजा/अजजा तथा सामान्य वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू 25000 अनुदान दिया जाता है तथा शेष 50% व्यावसायिक बैंको से ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।	ग्राम पंचायत या उप संचालक या प्रबंधक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
2	प्रशिक्षण योजना	ईकाई की स्थापना के इच्छुक कारीगर जो पात्रता मापदंड को पूरा करते हों।	चयनित कारीगरों को प्रशिक्षण महाविद्यालय या योग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है।	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की संबंधित ईकाई या जिला पंचायत में पदस्थ खादी बोर्ड के अधिकारी
3	मार्जिन मनी योजना	पचीस लाख रूपये तक लागत वाली परियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत उद्यमी	अजा/अजजा, अन्य पिछडा वर्ग, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक व अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राही को रू 25.00 लाख तक परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी 35% तक जबकि सामान्य वर्ग को 25% तक मार्जिन मनी/अनुदान दी जाती है। सामान्य वर्ग को योजना लागत का 10% तथा अन्य हितग्राहियों को 5% तक स्वयं निवेश करना अनिवार्य है।	जिला पंचायत में पदस्थ उप संचालक/ प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड